

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग,
प्रधान महत्वाकांक्षी (लेखापरीक्षा-1) व कार्यलय, मध्य प्रदेश,

amgihqrs.mpl.au@cag.gov.in

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह प्रथम के अंतर्गत जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा दल क्रमांक-01 व दीर्घ कार्यक्रम

श्री प्रदीप ज्ञानिक	श्री प्रमत्त पौनिय	श्री विरज पास सिंह	श्री लोकेश मीणा
प.ते.प.अ.	स.ते.प.अ.	स.ते.प.अ.	सहायक पर्यवेक्षक
क्र. स.	इकाई व नाम	कार्य दिवस	दिनांक
	प्रस्थान: उज्जैन		12.01.25
01	कार्यालय आयुक्त, नगर पालिका निगम, उज्जैन	25	13.01.25 से 14.02.25
	प्रस्थान: खाचरोद, उज्जैन		15.02.25/16.02.25
02	कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, खाचरोद, उज्जैन	09	17.02.25 से 28.02.25
	प्रस्थान: उन्हेल, उज्जैन		01.03.25/02.03.25
03	कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, उन्हेल, उज्जैन	05/07	03.03.25 से 07.03.25
	प्रस्थान: ग्वालियर		08.03.25
	मुख्यालय पर प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति	04	10.03.25 से 13.03.25
	प्रस्थान: उन्हेल, उज्जैन		16.03.25
03	कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, उन्हेल, उज्जैन	02/07	17.03.25 से 18.03.25
	प्रस्थान: तराव, उज्जैन		18.03.25 रात्रि/ 19.03.25 प्रातः
04	कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, तराव, उज्जैन	08	19.03.25 से 28.03.25
	प्रस्थान: ग्वालियर		29.03.25

अवकाश: जनवरी 2025- 11,12,18,19,25,26 फरवरी- 01,02,08,09,12,15,16,22,23,26 मार्च- 01,02,08,09,14,15,16

टीप:1 इकाई से संबंधित सिकरित प्रकरण यदि कोई हो तो उसकी जांच किया जाना सुनिश्चित करें ।

- 2 दल के सदस्य प्रस्थान लेने से पूर्व Movement Register पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें।
3. संलग्न निर्देशों व पालन किया जाना सुनिश्चित करें एवं पूर्व में जारी निर्देशों व भी पालन करें ।
4. जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा अर्थात् 2021-22 से 2023-24 तक (तीन वर्ष) की होगी।

(प्रधिकार: महत्वाकांक्षी महोदय के अनुमोदन उपरान्त जारी)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/मुख्यालय
लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह प्रथम

क्र/ एम जी- 1/दीर्घ कार्यक्रम/एस/टी/आर/ 936

दिनांक :- 03.01.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिवालय, उप महलेखाकार/ए एम जी-1 को सूचनार्थ ।
2. व.ते.प.अ./ए.पी.डी.ए.सी.
3. व ते प अ/ आई एस यिंग वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
4. व ते प अ / ए एम जी -1 (रिपोर्ट) , टी जी एस एवं स.ते.प.अ./डी.सी.ए. ।
5. समस्त दल के सदस्यों को अनुषलन हेतु ।